न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रायसिंहनगर,
पीठासीन अधिकारी :– सुभाष चन्द्र आर.ए.एस.

सं. 30 / 2024
सीएमएस : 2024 / 72

1. जरनैलसिंह पुत्र श्री चान्दीसिंह जाति रायसिख साकिन निरवाणा (3NRD-A) तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर राज.। –:वादी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) रायसिंहनगर। –: प्रतिवादी

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88 आरटीएक्ट व 136 एलआरएक्ट, धारा 152 सी.पी.सी.

तारीख रजू:– 01.04.2024

उपस्थित: 1. श्री सन्तकुमार बिश्नोई अधि. वादी।
2. राजपेरोकार सरकार प्रतिवादी

दिनांक : 20.03.2025

–निर्णय–

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादी के पिता स्वर्गीय श्री चान्दीसिंह पुत्र श्री अमीरसिंह जाति रायसिख साकिन बारांवाली तहसील रायसिंहनगर के नाम से चक बारांवाली बारानी तहसील रायसिंहनगर के मुरब्बा नं. 14 पं.नं. 115 / 301 की 24.00 बीघा बारानी भूमि आरजी काश्त पर आवंटन थी जिसको श्रीमान् सहायक उपनिवेशन एवं सहायक कलेक्टर राजस्थान नहर परियोजना सूरतगढ़ द्वारा प्री–55 के तहत निःशुल्क आवंटित की गई थी जिसकी सनद माननीय द्वारा दिनांक 06.09.1961 के द्वारा पुख्ता आवंटन की गई थी जिसकी खातेदारी सनद क्रमांक /आवंटन / आर / 549 दिनांक 14.03.1985 को अन्तर्गत धारा 15 एएए(3) के राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत जारी की गई। उक्त भूमि की खातेदारी सनद जारी करते समय खातेदारी सनद में आवंटी श्री चान्दीसिंह पुत्र श्री अमीरसिंह का नाम सहबन से चान्दीसिंह पुत्र हमीरसिंह लिख दिया गया तथा जमाबंदी मे सहबन से चान्दीसिंह पुत्र शमीरसिंह हिस्सा पूर्ण जाति रायसिख आरजी काश्तकार लिख दिया गया जबकि मेरे पिता का सही नाम श्री चान्दीसिंह है तथा श्री चान्दीसिंह के पिता का नाम श्री अमीरसिंह है लेकिन उक्तानुसार लिपिकीय भूलवंश किरार्ड तैयार कर दिया गया। अब वर्तमान में उक्त भूमि चक 28 बारावानी बारानी तहसील रायसिंहनगर के खाता संख्या 29 / 26 मु.नं. 14 प.नं.115 / 301 की 6.072 है. बारानी भूमि आवंटी चन्दीसिंह पुत्र शमीरसिंह हिस्सा पूर्ण जाति रायसिख साकिन 83 एल.एन.पी. आरजी काश्तकार दर्ज रिकार्ड है वादी के पिता श्री चान्दीसिंह का 06.02.2005 को देहान्त हो चुका है आवंटी श्री चान्दीसिंह के वादी जरनैलसिंह के अलावा जगजीतसिंह,दलीपसिंह,बलवन्मसिंह,पंजासिंह,दीपोबाई के अलावा वादी की बहन मृतका कौशलयाबाई कुल छः जायज व कानूनी वारिस है इनके अलावा अन्य कोई वारिस नहीं है। अब जब उक्त भूमि के संबंध में आवंटी वादी के पिता श्री चान्दीसिंह के वारिसांन द्वारा राजस्व रिकार्ड में उक्त खातेदारी सनद के आधार पर खातेदारी इन्तकाल दर्ज करवाए जाने का निवेदन किया गया तो सनद खातेदारी में उक्त आवंटी श्री चान्दीसिंह पुत्र शमीरसिंह लिखा होने की जानकारी प्राप्त हुई जिसकी नकल प्राप्त कर यह वाद पत्र माननीय न्यायालय में पेश किया जा रहा है अगर सनद खातेदारी / जमाबंदी में उक्त त्रुटी को दुरूस्त नहीं किया गया जाता है तो उक्त भूमि का रिकार्ड में खातेदारी अमल दरामद नहीं हो पाएगा जिससे वादी व आवंटी श्री चान्दीसिंह के वारिसान को खातेदारी अधिकार हासिल नहीं होगे तथा राजस्व रिकार्ड संबंधी कार्यवाही में कठिनाईयों का सामना करना पड़ेगा तथा काफी उलझने पैदा होगी जबकि आवंटन के बाद से लेकर तमाम रिकार्ड आरजी का[illegible] मृत्यु प्रमाण–पत्र, रसीद में आवंटी का सही नाम चान्दीसिंह पुत्र अमीरसिंह है। उक्त सनद [illegible]दारी / जमाबंदी में हुई त्रुटी की जानकारी होने के बाद वादी द्वारा [illegible] अमल दरामद किए जाने का निवेदन किया गया तो उन्होंने दिनांक 22.02.2[illegible] को माननीय न्यायालय में चाराजोही किए जाने क निवेदन किया जिस पर यह वाद पत्र [illegible] में पेश किया जा रहा है। प्रतिवादी लैण्ड होल्डर है जिनके द्वारा ही खातेदा[illegible] अमल दरामद किया जाना

उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर

Signature Not Verified
Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2025.04.03 17:05:50 IST
Reason: SelfAttested

इसलिए उनकों वाद में आवश्यक पक्षकार बनाया गया हैं। वाद वादी अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम व धारा 136 भू. राजस्व अधिनियम तथा 152 सीपीसी के तहत माननीय न्यायालय में पेश किय जा रहा है जो वाद माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार में है तथा अंदर मियाद व उचित कोर्ट फीस पर पेश है। अतः वाद पत्र वादी प्रस्तुत कर निवेदन है कि वाद पत्र वादी निम्न प्रकार से फैसल व डिक्री फरमाया जावे। कि चक बारांवाली बारानी तहसील रायसिंहनगर के मुरब्बा नं. 14 पं.नं. 115/301 की 24.00 बीघा बारानी भूमि की बाबत जारी सनद क्रमांक/आवंटन/आर/549 दिनांक 14.03.1985 को दुरूस्त किया जाकर आवंटी श्री चान्दीसिंह पुत्र अमीरसिंह का सहवन से लिखा नाम चान्दीसिंह पुत्र हमीरसिंह संशोधित किया जाकर दुरूस्ती किए जाने का आदेश पारित किया जावे तथा बाद दुरूस्ती उक्त रकबा के आवंटी चान्दीसिंह पुत्र अमीरसिंह खातेदारी रिकार्ड में दर्ज किए जाने का समुचित आदेश पारित किया जावे।

वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादी को जरिए सम्मन तलब किया गया। सरकार की तरफ से राजपैरोकार नायब तहसीलदार समेजा ने जवाब दावा पेश कर अंकित किया है कि रिकार्ड की हद तक स्वीकार है मूल रिकार्ड आवंटन धारा 15 एएए का तलब किया जाकर सनद में दुरूस्ती होनी है। उक्त प्रकरण धारा 15 एएए से संबंधित है जिस में मूल आवंटन पत्रावली तलब किया जाना है जवाब दावा शामिल मिसल किया गया।

वादी अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस सुनी गई। वादी अधिवक्ता ने कथन किया कि वादी के पिता स्वर्गीय चान्दीसिंह पुत्र श्री अमीरसिंह सही नाम है जिनके नाम सनद क्रमांक/आवंटन/आर/549 दिनांक 14.03.1985 को अन्तर्गत धारा 15 एएए(3) के राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत जारी की गई जिसमें चान्दीसिंह पुत्र श्री शमीरसिंह दर्ज कर दिया गया है परन्तु पट्टा आराजी व पावन्दी के पत्र क्रमांक 316 दिनांक 08.08.1952 में चान्दीसिंह पुत्र अमीरसिंह सही नाम अंकित किया गया है अतः सनद जारी करते समय सहवन से चान्दीसिंह पुत्र शमीरसिंह दर्ज है उसकी जगह चान्दीसिंह पुत्र अमीरसिंह किया जावे।

बहस सुनी गई व पत्रावली का अवलोकन किया, पत्रावली में संलग्न पहचान दस्तावेज, वाद पत्र, शपथ पत्र आदि का अध्ययन किया। प्रार्थी अधिवक्ता की बहस को सुनते हुए संगत विधिक प्रावधानों का अध्ययन किया। उक्त तथ्यों के आधार पर वादी का वाद पत्र स्वीकार किया जाना हम विधिसंगत समझते है।

—:आदेशः—

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में वाद पत्र वादी अंतर्गत धारा 88 आरटीएक्ट एवं 136—राजस्व भू अधिनियम 1956 व 152 सीपीसी भली—भांति साबित होने से स्वीकार किया जाकर राजस्व रिकार्ड के चक 12 एन.आर.डी.(बिशनपुरा) तहसील रायसिंहनगर की जमाबंदी संवत 2074—2077 खाता संख्या 29 नया, 26 पुराना मु.नं. 14 पं.नं. 115/301 में 6.0720 है. बारानी भूमि में चान्दीसिंह पुत्र शमीरसिंह के स्थान पर चान्दीसिंह पुत्र श्री अमीरसिंह दुरूस्ती किये जाने के आदेश दिए जाते है पर्चा डिक्री इस आशय का जारी हो। पर्चा डिक्री की एक प्रति तहसीलदार रायसिंहनगर को पालनार्थ प्रेषित हो। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तकमील जाब्ता पत्रावली दाखिल दफ्तर/ लेख भण्डार जमा हो।

— {सुभाषचन्द्र (आर.ए.एस)}
उपखण्ड अधिकारी
सहायक कलेक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर
रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर।

निर्णय आज दिनांक 20.03.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सुने ईजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2025.03.20 17:05:50 IST
Reason: SelfAttested

— {सुभाषचन्द्र (आर.ए.एस)}
उपखण्ड अधिकारी
सहायक कलेक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर।

डिक्री व मुकदमेंइब्तदाई
(आदेश 20 रूल 6–7 जाब्ता : दीवानी)

C/VIL PROCEDURE CODE APPENDIX D-1

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम रायसिंहनगर
बईजलास :– सुभाषचन्द्र
(आर.ए.एस.)

.सं. 30 / 2024
जीसीएमएस : 2024 / 72

2. जरनैलसिंह पुत्र श्री चान्दीसिंह जाति रायसिख साकिन निरवाणा (3NRD-A) तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर राज.। –:वादी

बनाम

3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) रायसिंहनगर। –: प्रतिवादी

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88 आरटीएक्ट व 136 एलआरएक्ट, धारा 152 सी.पी.सी.

–निर्णय– दिनांक : 20.03.2025

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसालकतई बरूबरू हमारे बहाजरी श्री सन्तकुमार बिश्नोई अधिवक्ता वादी, राजपैरोकार प्रतिवादी पेश होकर हुकम दिया जाता है डिक्री की जाती है कि:– वाद पत्र वादी अंतर्गत धारा 88 आरटीएक्ट एवं 136–राजस्व भू अधिनियम 1956 व 152 सीपीसी भली–भांति साबित होने से स्वीकार किया जाकर राजस्व रिकार्ड के चक 12 एन.आर.डी.(बिशनपुरा) तहसील रायसिंहनगर की जमाबंदी संवत 2074–2077 खाता संख्या 29 नया, 26 पुराना मु.नं. 14 पं.नं. 115 / 301 में 6.0720 है. बारानी भूमि में चान्दीसिंह पुत्र शमीरसिंह के स्थान पर चान्दीसिंह पुत्र श्री अमीरसिंह दुरूस्ती किये जाने के आदेश दिए जाते है है उक्त खाता के शेष अंकन व रहन बदस्तुर रहेगे।

डिक्री आज दिनांक 20.03.2025 को जारी की गई।

सुभाषचन्द्र
(आर.ए.एस)
सहायक कलक्टर एंव पदेन उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर।

अधिकारी (राज.) रायसिंहनगर

Signature Not Verified

Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2025.04.03 17:05:50 IST
Reason: SelfAttested

SCAN AnyScanner